तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/7/20	अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से शीघ्र सुनवाई का प्रा. पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी अधिवक्ता को सूचित किया गया। पत्रावली बहस हेतु आज निश्चित की गई। उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। दोनो अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि हिस्से अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज है। मूलवाद की सुनवाई पुनः होने से समय लगेगा। इस दौरान पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ेगा। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष एवं प्रार्थी के विरुद्ध वाद में निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करावे कि अप्रार्थी के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे। अतः अप्रार्थी का का 130 [illegible] प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डावरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के ख० नं० 1141 1170 कुल रकबा 61 बीघा 2 बिस्वा भूमि का वाद के नि० हि होने तक अप्रार्थी के हक व हिस्से तक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करने हेतु प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली मूलवाद के साथ नत्थी हो। पत्रावली दिनांक 20/7/2020 को प्रस्तुत हो।